

श्रम संहिता से निवेश और रोजगार में बड़ी छलांग की तैयारी

राज्य व्यूरो, जागरण● लखनऊ: प्रदेश के सामने श्रम संहिताओं को प्रभावी ढंग से लागू कर वैश्विक निवेश आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का सुनहरा अवसर है। प्रदेश सरकार नई नियमावली को अंतिम रूप दे रही है और इसे अगले महीने लागू करने की तैयारी है। पुराने जटिल नियमों की बजाय सरल और लचीले प्रविधान आने से उत्तर प्रदेश श्रम सुधारों का अग्रणी राज्य बन सकता है।

‘चीन प्लस वन’ रणनीति के दौर में उत्तर प्रदेश की प्रतिस्पर्धा वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों से है। इन देशों ने श्रम नियमों में लचीलापन देकर निवेश और रोजगार बढ़ाया है। वियतनाम में बड़ी फैक्ट्रियां और ओवरटाइम की अधिक छूट, बांग्लादेश में परिधान क्षेत्र में लाखों रोजगार और इंडोनेशिया में श्रम लागत में कमी जैसे कदम इसके उदाहरण हैं।

श्रम विभाग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश की भविष्य की आर्थिक समृद्धि निर्यात आधारित और श्रम-प्रधान उद्योगों पर निर्भर करेगी।

इसके

● नई नियमावली अगले महीने लागू करने की तैयारी, लचीले नियमों से उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

● वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों से है उत्तर प्रदेश की प्रतिस्पर्धा

नई नियमावली पर छह मई तक दे सकते हैं सुझाव

उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता नियमावली 2026 पर आपत्तियां और सुझाव देने की अंतिम तिथि छह मई तय की गई है। इसके बाद नियमावली को प्रकाशित कर विधायी प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा और फिर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। श्रम संहिता में कई महत्वपूर्ण प्रविधान शामिल हैं। इसमें एकल पंजीकरण (सिंगल रजिस्ट्रेशन) और कामन लाइसेंस की व्यवस्था होगी। महिलाओं को उनकी सहमति से सुरक्षित तरीके से रात की पाली में काम करने की अनुमति दी जाएगी। कार्यस्थल पर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत 20 या उससे अधिक कर्मचारियों पर पीएफ (भविष्य निधि) का



अंशदान अनिवार्य होगा, जबकि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों पर ईएसआई (स्वास्थ्य बीमा) और ग्रेच्युटी की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी वैधानिक लाभ मिलेंगे। गिग और प्लेटफार्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रविधान किया गया है। 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए हर साल स्वास्थ्य जांच (हेल्थ चेकअप) की व्यवस्था भी रखी गई है।

लिए बड़े पैमाने पर

फैक्ट्रियों की स्थापना, श्रम कानूनों में स्पष्टता और कार्यबल प्रबंधन

में लचीलापन जरूरी है। अभी प्रदेश की अधिकांश औद्योगिक इकाइयां छोटी हैं, जिससे लागत बढ़ती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है। करीब 90 प्रतिशत फैक्ट्रियां बहुत छोटी हैं, जिनमें 10 से कम श्रमिक काम करते हैं, जबकि चीन और वियतनाम जैसे देशों में फैक्ट्रियां 10 से 15 गुना बड़ी हैं। बड़े स्तर पर उत्पादन से लागत घटती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और निर्यात क्षमता मजबूत होती है।

चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों ने औद्योगिक विकास, प्रगतिशील श्रम कानून और बड़े पैमाने पर रोजगार को साथ लेकर सफलता हासिल की है। प्रदेश में श्रम संहिताओं के तहत लाइसेंस, निरीक्षण और पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने, छंटनी के नियमों में संतुलित लचीलापन देने, ओवरटाइम सीमा बढ़ाने और महिलाओं के लिए शिफ्ट व्यवस्था को आसान बनाने जैसे सुधार प्रस्तावित हैं।

श्रम संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ सकता है, जिससे बड़े उद्योग स्थापित होंगे, रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।